

# ASSOCHAM

## *suggests tax sops for senior citizens*

.....  
IANS

*New Delhi*

Industry body ASSOCHAM has advocated tax measures to benefit senior citizens in the Union Budget, to be presented on July 5 by Finance Minister Nirmala Sitharaman.

The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) in its budget memorandum has suggested increase in minimum tax exemption limit for senior citizens (above 60 years) to Rs 7.5 lakh from Rs 3 lakh and no tax for super senior citizens (80 years plus) on income up to Rs 12.5 lakh. It said many senior citizens couldn't get benefit of any robust social security or pension fund investments as they did not exist during their working life and were largely de-

pendent on interest income from fixed deposits.

Drastic decline in the rate of interest in past one year had left senior citizens in financial difficulty, it said and added, the actual inflation that was much higher than headline inflation had added to their misery.

Also, medical expenses shoot up heavily in old age as persons covered by mediclaim insurance policies had to cough up high insurance premia after one or two claims, it said.

It also suggested against tax deduction at source (TDS) from payment of interest to senior citizens.

Amazon launches India's second largest delivery station in HyderabadHyderabad, Jun 19 (UNI) E-commerce giant, Amazon launched India's second largest delivery station here on Wednesday.

## Assocham seeks tax sops for senior citizens

**New Delhi:** Industry body Assocham has advocated tax measures to benefit senior citizens in the Union Budget, to be presented on July 5 by Finance Minister Nirmala Sitharaman.

The Associated Chambers of Commerce and Industry of India in its budget memorandum has suggested increase in minimum tax exemption limit for senior citizens to Rs 7.5 lakh from Rs 3 lakh and no tax for super senior citizens (80 years plus) on income up to Rs 12.5 lakh. It also suggested against TDS from payment of interest to senior citizens. (IANS)

# वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.5 लाख हो कर मुक्त आय सीमा

■ **लखनऊ (भाषा)।**

उद्योग चैंबर एसोचैम ने केन्द्र सरकार को सुझाव दिया है कि आगामी बजट में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए साढ़े सात लाख रुपए तक की आय को करमुक्त किया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री को भेजे गए बजट पूर्व ज्ञापन में चैंबर ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों यानी 60 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों के लिए न्यूनतम कर रियायत सीमा तीन लाख रुपए से बढ़ाकर साढ़े सात लाख रुपए की जानी चाहिए। इसके साथ ही 80 वर्ष से अधिक

उम्र के बुजुर्गों की 12.5 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त रखा जाना चाहिए। संगठन ने

पेंशन फंड निवेश सुविधा नहीं हो पाती इसलिए वे अधिकांशतया सावधि जमा की ब्याज की आय

गिरावट आई है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय दिक्कतें पेश आ रही हैं। बुजुर्गों का

चिकित्सकीय व्यय भी काफी अधिक हो जाता है क्योंकि मेडिकलेम बीमा पॉलिसी से कवर लोगों को एक या दो क्लेम करने के बाद उंचा बीमा प्रीमियम भरना पड़ता है।

एसोचैम के उप महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों ने

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिवारों को पालने पोसने और

राष्ट्र निर्माण में योगदान किया है। ऐसे में बुजुर्गों का कल्याण हमेशा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

एसोचैम ने सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के ब्याज भुगतान पर टीडीएस कटौती नहीं किए जाने का भी सुझाव दिया है। चैंबर ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को बुजुर्गों की आय सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करनी चाहिए। एसोचैम ने कहा कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की औसत आयु 67.3 वर्ष और महिलाओं की 69.6 वर्ष है। इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।



■ एसोचैम ने अपने बजट पूर्व ज्ञापन में वित्त मंत्री से की मांग

■ 80 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए आय सीमा 12.5 लाख हो

■ वरिष्ठ नागरिकों के ब्याज भुगतान पर टीडीएस न काटने का भी सुझाव

कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के पास उनके सक्रिय जीवन के दौरान भारी भरकम सामाजिक सुरक्षा -

पर निर्भर करते हैं।

एसोचैम ने कहा कि पिछले साल भर में ब्याज दर में काफी

## वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर मुक्त आय सीमा बढ़े : एसोचैम

एजेंसी ■ सन्तानऽ

उद्योग चेंबर एसोचैम ने केन्द्र सरकार को सुझाव दिया है कि आगामी बजट में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए साढ़े सात लाख रूपए तक की आय को करमुक्त किया जाना चाहिए। केन्द्र को सौंपे बजट पूर्व ज्ञापन में चेंबर ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों यानी 60 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों के लिए न्यूनतम कर रियायत सीमा तीन लाख रूपए से बढ़ाकर साढ़े सात लाख रूपए की जानी चाहिए। इसके साथ ही 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की 12.5 लाख रूपए तक की आय को कर मुक्त रखा जाना चाहिए। संगठन ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के पास उनके सक्रिय जीवन के दौरान भारी भरकम सामाजिक सुरक्षा पेंशन फंड निवेश सुविधा नहीं हो पाती इसलिए वे अधिकांशतया सावधि जमा की ब्याज की आय पर निर्भर करते हैं।

एसोचैम ने कहा कि पिछले साल भर में ब्याज दर में काफी गिरावट आई है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय दिक्कतें पेश आ रही हैं। बुजुर्गों का चिकित्सकीय व्यय भी काफी अधिक हो जाता है क्योंकि मेडिकलेम बीमा पालिसी से कवर लोगों को एक या दो क्लेम करने के बाद उंचा बीमा प्रीमियम भरना पड़ता है। एसोचैम के उप महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों ने सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिवारों को पालने पोसने और राष्ट्र निर्माण में योगदान किया है। ऐसे में बुजुर्गों का कल्याण हमेशा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। एसोचैम ने सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के ब्याज भुगतान पर टीडीएस कटौती नहीं किए जाने का भी सुझाव दिया है। चेंबर ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को बुजुर्गों की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करनी चाहिए।